मसूदा

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

212/2022/22 श्रीमती कंचन व्यास श्रीमती रोड़ी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	2022/212 श्री रामदेव लाल गुर्जर श्री	

लगातार

सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी को बेचान, हस्तातंरण नहीं की जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 03.06.2022 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 में अंकित विवादित आराजी को बेचान, हस्तांरण नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर